

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 309/2013 सत्रवाद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना  
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

.....अभियोजन

बनाम

निशा परमार पत्नी शिवकुमार परमार, उम्र 28  
वर्ष। निवासी शीतल कॉलोनी मालनपुर जिला  
भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

---

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री एस0के0तिवारी  
के न्यायालय के मूल अपराधिक प्र0क्रं0. 1393/2013 इ0फौ0  
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 309/2013

---

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्त द्वारा श्री के0के0 शुक्ला अधिवक्ता।

---

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 23-3-17 को घोषित किया गया//

01. आरोपिया का विचारण धारा 304बी विकल्प में धारा 302, 498ए भा0द0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 22.02.2013 को मृतिका आरती जो कि आरोपी सत्यप्रकाश की पत्नी तथा आरोपी शिवराम उसके जेठ और गुड्डी जिठानी होते हुए विवाह के सात वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा आग से जलने से उसकी मृत्यु हुई जो कि उसकी मृत्यु के पूर्व दहेज की माँग को लेकर मृतिका को प्रताड़ित किया। बैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि आरती की सआशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि आरती के पति और पति के रिस्तेदार होते हुए दहेज की माँग को लेकर उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया तथा उन पर यह भी आरोप है कि आरती एवं उसके परिवार वालों से उसके विवाह के दौरान एवं उसके उपरांत दहेज की माँग की।

02. यह अविवादित है कि वर्तमान आरोपिया मृतिका आरती की जिठानी है। प्रकरण

में सहआरोपीगण सत्यप्रकाश, महेश उर्फ शिवराम परमार, गुड्डी के संबंध में पूर्व में निर्णय दिनांक 5-3-15 को घोषित किया जा चुका है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 22.02.13 को 04:30 बजे जे.ए.एच ग्वालियर में उपचार के दौरान मृतिका श्रीमती आरती पत्नी सत्यप्रकाश परमार जिसे कि जली हुई हालत में इलाज हेतु जे.ए.एच. लाया गया था की मृत्यु हो गई जिसकी सूचना थाना कम्पू को दी जाने पर मार्ग अंतर्गत धारा 174 सी.आर.पी.सी का दर्ज किया गया जो कि थाना मालनपुर से संबंधित होने से उक्त मार्ग थाना मालनपुर भेजा गया। मृतिका के शव का पंचनामा शफीनाफार्म जारी कर नायवतहसीलदार एवं कार्यपालन दण्डाधिकारी के द्वारा प्र.पी. 06 का नक्शा पंचायतनामा बनाया गया। मृतिका का पोस्टमार्टम कराया गया तथा उसके विसरा व जले हुए कपड़ों एवं सिर के बाल आदि की जप्ती की गई।

04. मार्ग की जाँच के दौरान यह तथ्य आया कि मृतिका आरती का विवाह दिनांक 24.06.12 को आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ शिवप्रसाद के साथ मालनपुर में सम्पन्न हुआ था। शादी के समय उसके पिता के द्वारा 41000/- रूपए नगद एवं दहेज में अन्य सामान दिया गया था और विवाह के उपरांत वह बिदा होकर अपनी ससुराल चली गई थी। विवाह के दो माह बाद मृतिका आरती अपने जेठ जिठानी के पास दिल्ली चली गई थी और फिर मालनपुर लौटकर आई उसके बाद उसकी खबर आई थी कि उसे लिवाकर ले जाओ तब उसके पिता लडकी को लिवाकर ले आए फिर लडकी ने आकर अपने पिता से बताया था कि उसके पति, जेठ शिवराम एवं जिठानी गुड्डी और निशा दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर उसे मारपीट कर परेशान कर रहे हैं। वह करीब दो महीने तक अपने मायके में रही। दिनांक 18.01.2013 को एक शादी समारोह में ग्वालियर में मृतिका के ससुराल वाले भी आए थे वहाँ पर भी मृतिका के पिता से उनके द्वारा दहेज की मांग की गई, उसके पिता के द्वारा बताया गया कि उसके पास पैसे नहीं हैं पैसे आने पर मोटरसाइकिल दे देंगे तब उन्होंने आरती को भेज देने के लिए कहा था। दिनांक 04.02.13 को आरती को ससुराल छोड़कर आए थे। दिनांक 21.02.13 को आरती के द्वारा अपने पिता को फोन कर बताया गया कि ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं उसे लिवा ले जाओ तब उसके पिता ने कहा कि एक दो दिन में लिवा ले जाएंगे। दिनांक 22.02.13 को खबर मिली कि आरती चल गई है और वह जे.ए.एच में भर्ती है। उसे जे.ए.एच में देखने गए तो उसका पूरा शरीर जला हुआ था वह बोल नहीं पा रही थी, थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार मृतिका आरती की मृत्यु उसकी ससुराल वाले उसके पति व पति के रिस्तेदारों के द्वारा दहेज की माँग को लेकर उसे प्रताड़ित करने के फलस्वरूप विवाह के सात वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा जलने से कारित हुई थी जो कि

जॉच उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट 49/13 धारा 304बी, 498ए भा0द0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का दर्ज किया गया। प्रकरण की विवेचना आगे की गई, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि वर्तमान आरोपिया फरार होने से उसके संबंध में फरारी में चालान पेश किया गया। जो कि उसके बाद में उपस्थित होने पर उसके संबंध में पूरक अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05. विचारित किए जा रहे आरोपिया के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 304बी विकल्प में धारा 302, 498ए भा0द0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपिया ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

06. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपिया ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

07. आरोपिया के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 22.02.2013 या उसके लगभग मृतिका आरती की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा जलने से कारित हुई?
2. क्या मृतिका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर कारित हुई?
3. क्या मृतिका आरती को उसकी मृत्यु के पूर्व वर्तमान आरोपिया जो कि उसके पति व पति के रिस्तेदार है के द्वारा दहेज की को लेकर और इस संबंध में उसे प्रताडित किया?
4. क्या मृतिका आरती की मृत्यु दहेज मृत्यु है?

#### विकल्प

क्या आरोपिया के द्वारा सहआरोपीगण के साथ मिलकर मृतिका आरती की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की?

5. क्या आरोपिया के द्वारा मृतिका आरती को विवाह के पश्चात् और उसकी मृत्यु के पूर्व उसके पति और पति के नातेदार होते हुए दहेज की माँग को लेकर उसके प्रति क्रूरता कारित की?

6. क्या आरोपिया के द्वारा मृतिका आरती के विवाह के समय या विवाह के उपरांत उससे एवं उसके परिवार वालों से दहेज की माँग की गई?

**—: सकारण निष्कर्ष:—**

**बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 6 :-**

08. साक्ष्य विवेचन की पुनरावृत्ति एवं सुविधा की दृष्टि से सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

09. डॉ० व्ही.एस.तोमर जिनके द्वारा मृतिका को शवपरीक्षण किया गया है के द्वारा मृतिका का दिनांक 23.02.13 को जे.ए.एच. ग्वालियर हॉस्पिटल में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ दौरान मृतिका आरती पत्नी सत्यप्रकाश का शव परीक्षण किया था और उसके शव परीक्षण में निम्न चोटें पाई गई थी— **वाह्य परीक्षण**— शव सामान्य कद काठि का 20 साल की महिला का था जिसकी दोनों आँखें, मुँह अधखुला था, दाँत दिख रहे थे, मुठ्ठियाँ क्लोहेड स्थिति में थी, दोनों घुटने मुड़े हुए थे तथा हिपज्वाइंट मुड़े हुए तथा बहार की तरफ झुके हुए थे, दोनों कोहनी आधी मुड़ी हुई थी और शव कंजलिस्टिक स्थिति में था। पेरो की दूसरी, तीसरी और चौथी उंगलियों में बिछिये थे तथा वांयी कलाई में तीन चूडिया और दाहिनी कलाई में तीन चूडिया व एक कड़ा था, नाक में लॉग और बालों में बेण्ड था, शरीर पर जले हुए कपड़े कमर की जगह उपस्थिति थे, हाथ की एपीथीलियम त्वचा में डीग्लोविंग थी। शरीर में मृत्यु पश्चात् की अकडन मौजूद थी जिसमें मृत्यु पूर्व के निम्नलिखित जलने के निशान पाए गए थे— पहली तथा दूसरी डिग्री का जलना चेहरे पर था और बाल झुलसे हुए थे, दूसरी तथा तीसरी डिग्री का जलना गर्दन कोरेक्स धड़ उपरी भुजाओं में उपस्थिति था, केवल पीठ में स्केपुला का बीच का हिस्सा बिना जला था दूसरी और तीसरी डिग्री के जलने का निशान पेट में बटक पर और लोअर लिंग में उपस्थिति था, केवल तलबे स्वस्थ थे।

10. उक्त चिकित्सक साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि, मृतिका के **आंतरिक परीक्षण में** ट्रेकिया में कार्वन शूट उपस्थिति था, दोनों फेंफड़े कंजेस्टेड थे और फोरेक्स से चिपके हुए थे, हृदय का वांया भाग खाली एवं दाहिने में रक्त था। दिमाग, यकृत, प्लीहा और गुर्दे कंजेस्टेड थे। पेट में पचास सीसी पीला द्रव था, यूटेरस तथा अन्य अवयव स्वस्थ एवं सामान्य थे। उक्त साक्षी ने अपने अभिमत में बताया गया है कि मृतिका का जलना प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था और किसी अग्नि से आना संभव था जो कि मृतिका की मृत्यु हृदय और स्वसनतंत्र के रुक जाने से जलने के कारण 3 से 24

घण्टे के अंदर हुई थी। मृत्यु की प्रकृति के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य, बिसरा रिपोर्ट व अन्य रिपोर्टों की सलाह दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी. 11 है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।

11. मृतिका आरती की मृत्यु जलन के कारण हो जाना साक्षी भूमिजा सक्सेना अ0सा0 3 कार्यपालन दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार ग्वालियर जिन्होंने कि मृतिका के शव का पंचनामा बताया था जिसमें कि मृतिका को मृत अवस्था में देखा जाना और उसकी आग से जलने से मृत्यु हो जाने के संबंध में नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 2 तैयार करना बताया गया है। मृतिका की मृत्यु हो जाना और उसकी लाश का पंचनामा बनाया जाना साक्षी केदारसिंह अ0सा0 1 जो कि मृतिका का पिता है के कथन से भी होती है जिनके द्वारा भी अपने कथन में यह बताया गया है कि लडकी आरती की मृत्यु आग से जलने से हो गई थी। इस संबंध में लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 पुलिस ने बनाया था। अन्य अभियोजन साक्षी राधा अ0सा0 2, बिमला अ0सा0 5, कमला अ0सा0 6 एवं कोकसिंह अ0सा0 4 के कथनों से भी मृतिका की मृत्यु हो जाने का तथ्य स्पष्ट है जो कि उसकी मृत्यु जलने के कारण होना उपरोक्त साक्षियों के कथनों के आधार पर जिसकी कि सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी हुई है से स्पष्ट होता है। मृतिका आरती की मृत्यु जलने के कारण हो जाना और उसका पोस्टमार्टम होना अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपिया के द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार मृतिका आरती की मृत्यु दिनांक 22.02.2013 को जलने के कारण होना प्रमाणित होता है। .....

12. मृतिका आरती की मृत्यु दिनांक 22.02.13 को हुई है जो कि इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्षियों के कथनों से स्पष्ट है। मृतिका आरती की शादी आरोपी सत्यप्रकाश से उसकी मृत्यु के 5-6 महीने पहले होना साक्षी केदारसिंह अ0सा0 1 के द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार साक्षी राधा अ0सा0 2 जो कि मृतिका की माँ है, बिमला अ0सा0 5 जो कि मृतिका की बुआ है, कमला अ0सा0 6 जो कि मृतिका की चाची है के द्वारा भी यह बताया गया है कि मृतिका की शादी उसकी मृत्यु के 4-5 महीने पहले हुई थी। इस संबंध में आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ शिवप्रसाद की मृतिका आरती के साथ शादी होने के संबंध में प्र.पी. 3 के अनुसार विवाह के कार्ड की जप्ती की गई है जिसके अनुसार 24 जनू 2012 को उनके शादी सम्पन्न हुई है। इस प्रकार मृत्यु के करीब 8 महीने पूर्व मृतिका आरती का विवाह आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ शिवप्रसाद के साथ सम्पन्न हुई जो कि उसकी विवाह के सात वर्ष के अंदर मृतिका आरती की मृत्यु हो जाना स्पष्ट होता है।

13. मृतिका आरती की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में मृतिका की मृत्यु होने की सूचना के पश्चात् मृतिका के शव का पंचनामा बनाया गया है जो कि नायब तहसीलदार एवं कार्यपालन दण्डाधिकारी भूमिजा सक्सेना अ0सा0 3 के द्वारा मृतिका के शव

का पंचनामा तैयार करना उसके शरीर पर कोई चोट के निशान न पाना तथा मृतिका की मृत्यु जल जाने के कारण प्रतीत होना उल्लेख किया है और इस संबंध में प्र.पी. 2 का पंचनामा तैयार कर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। मृतिका की मृत्यु जलने के फलस्वरूप होना साक्षी केदारसिंह अ0सा0 1 के कथन से भी स्पष्ट है। इस संबंध में मृतिका का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर व्ही.एस.तोमर के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में मृतिका की मृत्यु जलने के कारण होना बताया है।

14. मृतिका आरती का साशय या जानबूझकर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा किसी प्रकार से जलाया गया हो जिससे कि उसकी मृत्यु कारित हुई हो ऐसा कहीं भी किसी अभियोजन साक्षी की साक्ष्य में नहीं आया है और न ही प्रकरण में किसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर इसकी पुष्टि हुई है। मृतिका की मृत्यु किसी बीमारी के कारण प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हुई है अथवा उसकी किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई हो ऐसा भी कहीं प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में जबकि मृतिका आरती की मृत्यु जलने के कारण हुई है जैसा कि इस संबंध में आए हुए साक्षियों के कथनों एवं विवेचना से स्पष्ट है। निश्चित तौर से किसी महिला के जलने के फलस्वरूप उपरोक्त प्रकार से हुई मृत्यु उसकी स्वभाविक मृत्यु होनी नहीं कही जा सकती, बल्कि मृतिका की मृत्यु जलने के फलस्वरूप सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा उसकी मृत्यु होना प्रमाणित पाया जाता है।

15. दहेज मृत्यु के संबंध में धारा 304बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार— 'जहाँ किसी स्त्री की मृत्युकिसी दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा कारित की जाती है या सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पित ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ कूरता की थी या उसके तंग किया था वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा। उक्त धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1981 की धारा 2 में है।

16. इस संबंध में धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम भी उल्लेखनीय है जो कि दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान करता है जिसके अनुसार— जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के ठीक पहले उसे उस व्यक्ति के द्वारा दहेज की मांग के संबंध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, न्यायालय यह उपधारणा

करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की।

17. इस प्रकार धारा 304बी भा0दं0वि0 हेतु आवश्यक तथ्य निम्न प्रकार है—

1. किसी स्त्री की मृत्यु दाय या शारीरिक क्षति के द्वारा या सामान्य परिस्थिति के अन्यथा कारित हुई हो।
2. मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई हो।
3. मृत्यु पूर्व उसके पति या पति के किसी नातेदार के द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई हो या उसे तंग किया गया हो।
4. उक्त क्रूरता या तंग करने का कृत्य दहेज की मांग को लेकर या उसके संबंध में किया गया हो।
5. इस प्रकार की क्रूरता या तंग करने का कृत्य उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व किया गया हो।

यदि उपरोक्त तत्वों की पूर्ति हो जाती है तो दहेज मृत्यु कही जायेगी और ऐसा पति या पति के नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाले समझे जायेगा।

18. धारा 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1981 जिसके अंतर्गत दहेज को परिभाषित किया गया है उसके अनुसार कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो कि विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात् पक्षकारों के विवाह के संबंध में विवाह के पक्षकार या उसके माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार या उसके माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को या तो दी गबई हो या दी जाने का करार किया गया है उसे दहेज कहते हैं, लेकिन इसमें मेहर शामिल नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रावधान के अंतर्गत दहेज की मांग केवल विवाह के पूर्व या विवाह के समय तक सीमित नहीं है विवाह के बाद भी मांग उसमें शामिल है। विवाह संपन्न होने के बाद की गई मांग भी दहेज मानी जायेगी, जैसा कि इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश वि० राजगोपाल ए.आई.आई.आर 2004 एस.सी. 1933** में स्पष्ट किया है।

19. उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि यदि धारा 304बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत दर्शाए गए आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती है तो इस संबंध में धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत दहेज में मृत्यु की उपधारणा की जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित होगा।

20. प्रकरण में पूर्ववती विवेचना से स्पष्ट है कि मृतिका आरती की मृत्यु जलने के कारण विवाह के सात वर्ष के अंदर होना प्रमाणित है। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या मृतिका आरती की मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपी जो कि उसका पति एवं पति के नातेदार है

उनके द्वारा दहेज की मांग को लेकर या इस संबंध में मृतिका को तंग कर क्रूरता का व्यवहार किया गया?

21. उपरोक्त संबंध में साक्षी केदारसिंह अ0सा0 1 जो कि मृतिका का पिता है के साक्ष्य कथन में कहीं भी किसी भी आरोपी अथवा आरोपीगण के द्वारा मृतिका आरती से दहेज की मांग करने अथवा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है। साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि उसकी लड़की ने उसे दहेज की मांग के संबंध में अथवा उसे परेशान किए जाने बावत् कोई बात नहीं बताई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचकप्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु सूचक प्रकार के प्रश्नों में भी उसने आरोपीगण के द्वारा दहेज की मांग किये जाने अथवा इस कारण मृतिका को परेशान और प्रताड़ित करने वाली कोई भी बात नहीं बताई है और इस संबंध में पुलिस को दिए गए कथन प्र.पी. 3 में आई हुई बात को उसके द्वारा इंकार किया गया है। प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरोपीगण के द्वारा कभी भी कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी।

22. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी राधा अ0सा0 2 जो कि मृतिका की माँ है, विमला अ0सा0 5 जो कि मृतिका की बुआ है, कमला अ0सा0 6 जो कि मृतिका की चाची है एवं कोकसिंह अ0सा0 4 जो कि मृतिका का चाचा है के कथनों में भी कहीं भी आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका आरती से दहेज की मांग किया जाना अथवा दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान और प्रताड़ित किया जाने बावत् कोई भी साक्ष्य नहीं आई है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने के उपरांत सूचक प्रकार के प्रश्नों में भी उनके कथनों में उपरोक्त बिन्दुओं पर अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षियों के द्वारा यह बताया गया है कि आरती ने कभी भी उनको यह नहीं बताया था कि ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं तथा साक्षी कोकसिंह अ0सा0 4 के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि उससे या उसके परिवार वालों से आरोपीगण के द्वारा कभी भी कोई दहेज की मांग नहीं की गई और न ही बच्ची को परेशान किया गया। इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षियों के कथनों में कही भी यह तथ्य नहीं आया है कि मृतिका को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दहेज की मांग की गई है और दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता कारित का व्यवहार किया गया है। आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा विवाह के समय अथवा विवाह के उपरांत मृतिका आरती अथवा उसके



परिवारजनों से दहेज की कोई मांग किया जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है।

23. अभियोजन के द्वारा उपरोक्त मौखिक साक्षियों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा कोई ऐसी अन्य साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे कि आरोपीगण के द्वारा मृतिका से दहेज की मांग करने अथवा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किये जाने का कोई तथ्य नहीं आया है। मृतिका का कोई मृत्यु कालीन कथन भी इस संबंध में नहीं है।

24. आरोपिया पर लगाए गए बैकल्पिक आरोप जो कि मृतिका की हत्या के संबंध में है इस बिन्दु पर जैसा कि पूर्ववर्ती विवेचना के परिप्रेक्ष्य में तथा प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर कहीं भी यह तथ्य नहीं आया है कि मृतिका के शरीर पर मृत्यु के पूर्व की कोई चोटें थी अथवा मृतिका को आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा आग लगाकर जलाया गया हो, बल्कि अभियोजन साक्षी केदारसिंह अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उसकी पुत्री जो कि जे.ए.एच अस्पताल ग्वालियर में थी उसकी अपनी पुत्री से बातचीत हुई थी तो उसने बताया था कि चाय बनाते समय गैस से कपड़ों में आग लग गई थी और प्रतिपरीक्षण में भी उक्त बात को स्वीकार किया है। इसी प्रकार साक्षी राधा अ0सा0 2 के द्वारा भी खाना बनाते समय लडकी के जल जाने के संबंध में बताया है। इस संबंध में शव का पंचनामा बनाने वाले कार्यपालन दण्डाधिकारी भूमिजा सक्सैना ने सभी आग से जलने के कारण मृतिका की मृत्यु होना बताया है, मृतिका के शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई चोट होना नहीं पाया गया था। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक व्ही.एस.तोमर के कथन में भी मृतिका के शरीर पर कोई चोट के निशान आदि होना दर्शित नहीं है। प्रकरण में अन्य कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी इस तथ्य को पुष्ट नहीं करती है कि मृतिका की मृत्यु आरोपीगण के द्वारा किसी प्रकार से कारित की गई हो। ऐसी दशा में आरोपिया के द्वारा साशय या जानबूझकर मृतिका की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या करने के संबंध में बैकल्पिक लगाया गया आरोप भी आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित नहीं है।

25. प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के कथन में कहीं भी यह तथ्य नहीं आया है कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका आरती के विवाह के समय अथवा विवाह के पश्चात् मृतिका से अथवा उसके परिवार वालों से कभी दहेज की मांग की गई हो अथवा आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका को दहेज की मांग को लेकर या इस संबंध में प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता की गई हो। यद्यपि मृतिका की मृत्यु जलने के कारण सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा होने का तथ्य प्या गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर जबकि इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं है आरोपीगण या सिकी आरोपी के द्वारा मृतिका को आत्महत्या

करने हेतु किसी प्रकार से उकसाया गाय हो और इस कारण उसके द्वारा आत्महत्या की गई हो। आरोपीगण या किसी आरोपी के विरुद्ध धारा 498ए भा०दं०वि० के अंतर्गत अपराध के आरोपी की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती और इस संबंध में धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया आरोप भी उनके विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

26. प्रकरण के विवेचना अधिकारी अमरनाथ वर्मा अ०सा० 7 जिन्होंने कि मर्ग की जाँच के उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 49/13 धारा 304बी, 498ए भा०दं०वि० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 12 की लिखी गई है और घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 13 तैयार किया गया है तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये हैं और ए.एस.आई रमेश गोड के द्वारा मर्ग इंटीमेशन प्र. पी. 14 का लेखबद्ध करना और प्र.पी. 15 के अनुसार मृतिका के बिसरा आदि की जप्ती करना बताया गया है।

27. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियोजन इस तथ्य को प्रमाणित नहीं कर सका है कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका की मृत्यु के ठीक पूर्व उससे दहेज की मांग की गई है और इस संबंध में मृतिका को परेशान और प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया गया है एवं आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका आरती के विवाह के उपरांत उससे अथवा उसके परिवार वालों से दहेज की मांग करने अथवा दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान या प्रताड़ित किये जाने के संबंध में भी तथ्य अभियोजन साक्षियों के कथनों से प्रमाणित नहीं होता है।

28. तदनुसार वर्तमान में विचारित की जा रही आरोपिया निशा पत्नी शिवकुमार सिंह को आरोपित धारा 304बी विकल्प में 302, 498ए भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।

29. प्रकरण में जप्त सुदा विसरा व जले हुये सीलबंद कपड़े, नमक का घोल तथा सील नमूना एवं सिर के जले हुये बाल अपील अवधि पश्चात् मूल्य हीन होने से नष्ट किये जायें, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश